संख्याः– 4146 /नौ–5–19–360सा/2017–टी0सी0

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांकः** ०4 **अक्टूबर, 2019**

विषयः– सीवर गृह संयोजन हेतु CSOs द्वारा किये गये कार्यो के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया श्री संदीप मांझी, चीफ एग्जिक्यूटिव, स्टेट सपोर्ट यूनिट, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 17.09.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि वे सभी नगर निकायें जहां सीवर गृह संयोजन (HSC) की परियोजनायें चल रही हैं, वहां संबंधित निकाय के द्वारा CSOs द्वारा किये गये कार्य के सत्यापन के पश्चात् ही CSO को भुगतान किये जाने का प्राविधान है। सत्यापन हेतु संबंधित निकाय के सत्यापन कर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर aasan.website पोर्टल पर दर्ज होने से व्यवस्था है, जिससे उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके।

उपरोक्त व्यवस्था के होते हुए भी यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पिछले एक वर्ष से ज्यादा के समयान्तराल में ज्यादातर नगर निकायें CSO के कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् उनका सत्यापन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में CSO के कार्य का भुगतान न होने के कार्य की गति धीमी हो जाती है तथा संबंधित नगर निकायों के सीवर परियोजनाओं के हस्तान्तरण एवं गृह संयोजनों से प्राप्त होने वाले राजस्व की संभावनाओं परविपरीत असर पड़ता है।

3– उपरोक्त वर्णित कठिनाई के समाधान हेतु श्री संदीप मांझी, चीफ एग्जिक्यूटिव, स्टेट सपोर्ट यूनिट, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये है, जिनका परीक्षण किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1)– स्वतः सत्यापन

- प्रत्येक माह के 25 तारीख तक नगर निकाय द्वारा सत्यापन के लिये वांछित असत्यापित गृह संयोजनों को अवश्य सत्यापि कर लिया जाय। इस हेतु प्रथम 15 दिन अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तथा अग्रेतर 10 दिन सत्यापन हेतु अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार होंगे। स्वतः सत्यापित किये जाने की तिथि प्रत्येक माह का अंतिम दिवस होगा और केवल वही गृह संयोजन स्वतः सत्यापित होंगे, जो माह की 25 तारीख तक सत्यापन हेतु लम्बित होंगे। इससे प्रत्येक माह 25 तारीख के बाद भी नगर निकायों के पास सत्यापन कार्य पूरा किये जाने हेतु 5–6 दिन का अवसर होगा।
- CSO द्वारा 25 तारीख के बाद सम्पन्न किये गये कार्यो के उसी माह सत्यापन हेतु निकाय से अनुरोध नहीं किया जायेगा।
- स्वतः सत्यापित गृह संयोजनों में भविष्य में कोई विसंगति पाये जाने पर संबंधित निकाय में उक्त कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी तथा सत्यापन हेतु नामित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(2)– सशर्त सत्यापनः–

CSO के द्वारा नागरिकों को जागरूक करते हुये कार्य के गुणवत्ता पर जोर देने के पश्चात् भी नागरिकों द्वारा जल निगम द्वारा किये गये अधूरे एवं खराब गुणवत्ता वाले गृह संयोजनों की आख्या aasan.website पर दर्ज की जाती है। ऐसे समस्त गृह संयोजनों में जो भी विसंगति पायी है, वे गृह–वार दर्ज की जाती है। ऐसे समस्त विसंगति वाले गृह संयोजनों

को "सर्शत सत्यापन" की श्रेणी में रखा जाये, ताकि इन्हें जल निगम के डैशबोर्ड में परीलक्षित कराया जा सके एवं समयबद्ध तरीके से उनमें जरूरी सुधार कराया जा सके। सर्शत सत्यापन की दशा में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकिया से CSO के भुगतान प्रभावित नहीं होगे तथा उन्हें समय से अपने कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

4– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सीवर गृह संयोजन हेतु CSOs द्वारा किये गये कार्यो के सत्यापन के संबंध में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,

4.10.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ

2– श्री संदीप मांझी, चीफ एग्जिक्यूटिव, स्टेट सपोर्ट यूनिट, नगर विकास विभाग, उ0प्र0। ई–मेल आई0डी0 proact.next@gmail.com

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

1140/PSUD/2019

State Support Unit

[for all CSO projects under SBM-U, AMRUT & Namami Gange]
Department of Urban Development
Government of Uttar Pradesh

PROACT

To,

Manoj K Singh, IAS
Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh
Department of Urban Development
Room no. 834, Bapu Bhawan
Vidhan Sabha Marg, Lucknow

Kind attention :
Dr. Kajal, IAS, Director
Directorate of Local Bodies
Government of Uttar Pradesh, Lucknow

Dir (LB)
Pl. put up with comment
Manoj
20/9/19.

September 17, 2019

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Dear Sir,

Subject : ULB response to CSO work : proposal for Auto- and Conditional verification of house sewer connections (HSC)

Response of several ULBs in conduct of verification CSO work after benchmarking (raising house application) and accomplishing (reporting completion) of HSCs are duly conducted, has been unusually slow. The HSCs reported by CSOs in Varanasi, Kanpur and Prayagraj had to wait for ULB verification for over a year. Also, ULBs like Kanpur have been observed to reject CSO records on the basis of unsubstantiated reasons and later reconsidering them to re-verify. Such tendencies delayed the project process and endangered CSO work due to non-payment. One may sympathetically consider that the CSOs are paid only after the mandates are accomplished, web-reported, checked by SSU and eventually verified by the ULBs. Delaying ULB verification of CSO work and keeping CSOs unpaid for months, jeopardizes retention and further mobilization of field workers. Considering this, as discussed with you, we urge you to consider the following proposals -

First : Auto verification

Select ULBs have shown disciplined and careful verification of CSO work yet keep number of unverified HSCs in a month to bare minimum. The **proposal** is : to administer provision of 'auto-verification' of CSO work updates if they're not verified till a fixed date every month – allowing sufficient time to the ULB to conduct routine verification by the month end; albeit.

Our suggestion is to define 25th of every month as the cut-off date for auto verification. Meaning, HSC updates reported by CSOs, with first check conducted by SSU, by the end of 25th of every month, would be auto-verified on the last day of the month. The invoices for auto-verified HSCs would be added in ULB verified HSCs on first of every month.

Second : Conditional verification

Significant number of HSCs provided by UP Jal Nigam are found to be inadequate in terms of "completion" and "quality". Here 'completion' refers to connecting all sources of sewer generation _ dark and gray water (toilet, bathroom and kitchen), 'quality' refers to construction work done towards breaking & repairing property lines. Citizens reports generated through mobile app suggest that there are significant numbers of HSCs that need to be corrected by UPJN contractors.

We have discussed in meeting conducted by the Directorate with ULBs and UPJN that HSCs that bear such inadequacies and seek correction, are routed to UPJN web-console of aasaan.website enabling UPJN and its contractors to precisely attend each of the complaints.

The ULB verification would automatically find them as "conditional verification'. The conditionally verified HSCs would seek corrective redressal by UPJN; and contractors thereof, duly informing the citizens as the corrections are done. Pendency (number of days lapsed since the citizen report received) of such HSCs

clearly shown, UPJN would be able to report compliances on the web-console of aasaan.website, to be verifiable by concerned ULBs or the Directorate of local bodies, if required.

Both of these features have been operationalized and trials conducted in beta format of aasaan.website and would be activated on the main portal as soon as the proposal receives a go-ahead granted by you.

We look forward to your kind approval, please.

Sincerely,

Sandeep Majhi

Sandeep Majhi
(For State Support Unit)